छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001

अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7-व.सं./2001 दिनांक 25 अगस्त, 2001.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001** है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा।

(3) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.- इन नियमों में "अधिनियम" से अभिप्रेत है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16)।

3. पासों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन.- किसी भी वनोपज का, छत्तीसगढ़ राज्य में या उसके बाहर या उसके भीतर, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति के सिवाय, इन नियमों से संलग्न प्ररूप क, ख या ग में अभिवहन पास के बिना गमनागमन नहीं किया जाएगा। अभिवहन पास, किसी वन अधिकारी या ग्राम पंचायत या ऐसा पास जारी करने के लिए इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा :

परन्तु कोई भी अभिवहन पास-

(क) किसी ऐसी वनोपज को, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे ग्राम की सीमाओं के भीतर, जिसमें यह पैदा हुई हो, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिए गए विशेषाधिकार या अधिनियम के अधीन मान्य किए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए वास्तविक घरेलू उपभोग के लिए हटाई जा रही है।

(ख) ऐसी वनोपज को, जिसे राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दी जाए।

(ग) ऐसी वनोपज को, जो तत्समय प्रवृत्त इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई धन संबंधी रसीद (मनी रिसीप्ट) रेटेड पास/वनोपज पास/कार्टिंग चालान के अन्तर्गत आती हो।

(घ) लघु वनोपज को, वन से स्थानीय बाजार को या संग्रहण केन्द्र को या घरेलू उपभोग के लिए हटाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

4. पास जारी करने वाले अधिकारी और व्यक्ति.- इन नियमों के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों और व्यक्तियों को अभिवहन पास जारी करने की शक्ति होगी-

(क) उस वनोपज के लिए, जो सरकार की हो, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, सब डिवीजनल फारेस्ट आफिसर या कोई अन्य अधिकारी, जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो।

(ख) किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज के लिए, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर या ऐसा कोई अधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया हो या ग्राम पंचायत जिसकी अधिकारिता में वनोपज पाई गई हो या पैदा हुई हो-

(1) निम्नलिखित प्रजाति के काष्ठ तथा ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी :-

(एक)	कैसूरिना	-	कैसूरिना इक्वेजेटिफोलिया
(दो)	सूबबूल	-	ल्यूसेनिया प्रजातियां
(तीन)	पापलर	-	पाप्युलस प्रजातियां
(चार)	इजरायली बबूल	-	एकेशिया टॉरटिलिस
(पांच)	विलायती बबूल	-	प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा
(छः)	मेन्जियम	-	अकेशिया मेन्जियम

(2) प्राइवेट भूमि (भूमिस्वामी) में पाये गये वृक्षों से अभिप्राप्त काष्ठ तथा ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास नीचे अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा :-

(क) निम्नलिखित प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास, इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से गठित "पंचायत स्तर समिति" (जिसमें कि सरपंच, वर्तमान सरपंच के पूर्ववर्ती, बीट गार्ड, पटवारी तथा वनसुरक्षा समिति/ग्राम वन समिति के अध्यक्ष सम्मिलित होंगे), की सिफारिश के अनुसार पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा (समिति की अनुशंसा पंचायत द्वारा संधारित पंजी में अभिलिखित की जायेगी) :-

(एक)	बबूल	-	अकेशिया निलोटिका
(दो)	सिरिस	-	अल्बीजिया प्रजातियां
(तीन)	नीम	-	अजाडरक्टा इंडिका
(चार)	बेर	-	जिजुफस प्रजातियां
(पांच)	पलास	-	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
(छः)	जामुन	-	साइजेजियम कुमिनी
(सात)	रिमझा	-	अकेशिया ल्यूकोफ्लोइया

(ख) 4 (ख) (1) तथा 4 (ख) (2)(क) में उल्लिखित से भिन्न समस्त प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के लिए अभिवहन पास, पंचायत स्तर समिति की सिफारिश के अनुसार, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी [जो वनपाल (फारेस्ट) से अनिम्न श्रेणी का न हो], के द्वारा जारी किया जाएगा।

(ग) जिले के भीतर वनोपज का परिवहन करने के लिए ग्राम पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिवहन पास जारी करेगा। जिले से बाहर वनोपज का परिवहन करने के लिए अभिवहन पास, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी (फारेस्ट आफिसर) द्वारा जारी किया जाएगा।

(घ) अभिवहन पास जारी करने के लिए, सुसंगत दस्तावेजों तथा जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के भीतर अभिवहन पास जारी किया जाएगा।

(ङ) लोक वानिकी मिशन के अधीन निजी स्वामित्व के काष्ठ का परिवहन भी ऊपर विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा।

(च) निर्धारित समयावधि में अभिवहन पास जारी नहीं करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

5. अभिवहन पास जारी करने के लिए शुल्क की दरें.- राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी, नियम 4 के उपबंधों के अनुसार अभिवहन पास जारी करने के लिए फीस की दरें नियत करेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य अधिसूचना

अधिसूचना क्र. एफ 7-61/व.सं./2001 दिनांक 14 जून, 2002.- छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित वनोपज के लिए परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित शुल्क निर्धारित करती है :-

क्र.	वनोपज का नाम	विहित फीस			
		रुपए	रुपए प्रति ट्रक	रुपए प्रति ट्राली	रुपए प्रति बैलगाड़ी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लाईम स्टोन, डोलोमाईट, फायरक्ले, मैंगनीज, कॉपर, रॉक-फास्फेट, पायरो-फिलाईट, डायास्पोर, ओकर, बाक्साईट, केलसाईट, कोयला, क्वार्टज, सिलिका सेंड, स्लेट, सोप स्टोन, आयरन ओर, सोना, कोरंडम एवं टीन अयस्क	7 रुपये प्रतिटन	-	-	-
2.	फ्लेग स्टोन, ग्रेनाईट, मार्बल, गिट्टी, पत्थर, रेत एवं मुरूम	4 रुपये प्रति घनमीटर	-	-	-
3.	काष्ठ जलाऊ एवं बांस	-	100/-	50/-	5/-

6. अभिवहन पास की विषयवस्तु.- (1) नियम 3 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक अभिवहन पास में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जायगा :-

(क) उस व्यक्ति का नाम, जिसे ऐसा पास मंजूर किया गया है,

(ख) उसके अंतर्गत आने वाली वनोपज की मात्रा और वितरण, लट्ठों की दशा में नाप सहित एक सूची अभिवहन पास के साथ संलग्न की जाएगी।

(ग) स्थान, जहां से तथा जहां तक ऐसी वनोपज का परिवहन किया जाना है,

(घ) वह मार्ग, जिससे ऐसी वनोपज का परिवहन किया जाना है,

(ङ) वह कालावधि जिसके लिए पास प्रवृत्त रहेगा,

(च) हथौड़े के वैध चिन्ह की छाप।

(2) अभिवहन पास, इन नियमों से संलग्न प्ररूप क, ख, या ग में नीचे उपदर्शित किये गये अनुसार जारी किया जावेगा :-

प्ररूप-क- वन अधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाए।

प्ररूप-ख- ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाए।

प्ररूप-ग- डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो फारेस्टर के पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, राज्य के बाहर से आने वाली वनोपज के लिए निर्यातक राज्य के अभिवहन पास के स्थान पर जारी किया जाए।

(3) अभिवहन पास की प्रत्येक पुस्तक के बारे में संदेय राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रिंसीपल चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट) छत्तीसगढ़ द्वारा समय-समय पर विहित की जावेगी।

(4) अभिवहन पास दो प्रतियों में और पुस्तकों के रूप में जिल्दबंद होगा, जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर से अभिप्राप्त किया जायेगा। प्रत्येक पुस्तक पर एक पहचान क्रमांक होगा और प्रत्येक पुस्तक के पास, क्रम से संख्यांकित किये जाने चाहिये, प्रथम प्रति प्रतिपर्ण होगी तथा द्वितीय प्रति उपज के भारसाधक व्यक्ति को दी जायेगी।

7. प्रत्येक लोड के लिये पृथक् पास होगा.- किसी भी अभिवहन पास में सामान्यतः एक लोड से अधिक का समावेश नहीं होगा, चाहे ऐसे लोड का किसी व्यक्ति, किसी पशु द्वारा या किसी यान में वहन किया जाए।

8. पास को बिंगाड़ा नहीं जायेगा.- किसी अभिवहन पास में मार्ग और कालावधि के विषय को छोड़कर मुद्रित या लिखित किसी बात में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और यह केवल किसी वन अधिकारी द्वारा, जो फारेस्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, अभिवहन पास में उल्लेखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किया जा सकेगा।

9. निरंक पास की पुस्तकों का उन्हें जारी करने के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों या ग्राम पंचायत को प्रदाय किया जाना.- (1) जब डिवीजनल फारेस्ट आफिसर नियम 4 के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन किसी अधिकारी या व्यक्ति को अभिवहन पास जारी करने के लिये प्राधिकृत करता है तो वह ऐसे अधिकारी या ऐसे व्यक्ति या ग्राम पंचायत को, निरंक पास की अभिप्रमाणीकृत पुस्तकें समय-समय पर देगा।

(2) प्राधिकृत व्यक्ति या ग्राम पंचायत, जिसको ऐसी पुस्तक प्रदाय की गई है, नियम 6 के उपनियम (3) के अधीन यदि कोई राशि नियत की गई हो, तो उसका संदाय करेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जिसे पास जारी करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, उसके प्राधिकार की शर्तों के अनुसार ही अभिवहन पास जारी करेगा।

10. उपयोग किये गये अभिवहन पासों के प्रतिपर्णों के लेखों का वापिस किया जाना.- (1) ग्राम पंचायत या कोई व्यक्ति जिसको अभिवहन पास की पुस्तक प्रदाय की गई है, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर को, उसके द्वारा जारी किये गये अभिवहन पास पर उद्धरित वनोपज का मासिक लेखा प्रस्तुत करेगा।

(2) उपयोग किये गये तथा उपयोग न किये गये समस्त अभिवहन पासों के प्रतिपर्ण (काउंटर फाइल) यदि कोई हों, उस अधिकारी को वापिस किये जाएंगे, जिससे पासों की पुस्तक प्राप्त की गई थी। जब तक पूर्व में उपयोग किये गये समस्त पासों के प्रतिपर्ण वापिस नहीं किये जाते, अभिवहन पास की नई पुस्तक (बुक) का प्रदाय नहीं किया जायेगा।

11. मांग किये जाने पर प्रतिपर्णों का निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जाना.- ग्राम पंचायत या कोई व्यक्ति, जिसे नियम 4 के खंड (ग) के अधीन अभिवहन पास जारी करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, यदि किसी वन अधिकारी द्वारा, जो फारेस्टर की पद श्रेणी का न हो ऐसी अपेक्षा की जाये तो वह समस्त ऐसे पासों के प्रतिपर्णों को, जो ऐसे व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं, निरीक्षण के लिये पेश करने या वापस करने के लिये आबद्ध होगा।

12. अभिवहन पास जारी करने के प्राधिकार के रद्दकरण या अवधि समाप्त पर प्रक्रिया.- यदि नियम 4 के खण्ड (ग) के अधीन दिया गया प्राधिकार रद्द कर दिया जाता है अथवा प्राधिकृत की गई विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका प्राधिकार इस प्रकार रद्द कर दिया गया है, अभिवहन पासों की उपयोग में न लाई गई प्रत्येक पुस्तक तथा उसके कब्जे में की ऐसी पुस्तक के उपयोग

में न लाये गये भाग, उपयोग में लाये गये अभिवहन पासों के प्रतिपर्ण के साथ, यदि कोई हों, जो पूर्व में वापिस न किये गये हों, उस अधिकारी को, जिसने उसे प्राधिकार दिया है, तत्काल वापिस करेगा।

13. अधिकारी या ग्राम पंचायत या प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाये गये अभिवहन पास कब अविधिमान्य होंगे.- ग्राम पंचायत या प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा जारी किये गये अभिवहन पास विधिमान्य नहीं होंगे :-

(क) यदि ऐसा अभिवहन पास, नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन इस प्रयोजन के लिये प्रदाय किये गये निरंक प्ररूप पर तैयार न किया गया हो।

(ख) यदि अभिवहन पास ग्राम पंचायत स्तर समिति की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आता है, या

(ग) यदि अभिवहन पास ऐसे अधिकारी या व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा अनुज्ञा-पत्र जारी करने का प्राधिकार रद्द करने वाले आदेश की प्राप्ति के पश्चात् जारी किया गया हो।

14. काष्ठ पर संपत्ति तथा अभिवहन चिन्हों का लगाया जाना.- किसी भी काष्ठ का छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से या जिले के भीतर तब तक गमनागमन नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस पर ऐसी डिजाइन का शासकीय अभिवहन चिन्ह या ग्राम पंचायत का सम्पत्ति चिन्ह न हो, जैसा कि इस निमित्त डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा समय-समय पर, विहित किया जाए।

15. सम्पत्ति चिन्हों का पंजीयन.- (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत को, आवेदन करने पर, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा एक सम्पत्ति चिन्ह आवंटित किया जायेगा, जो उस काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े पर लगाया जाएगा, जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा अभिवहन पास जारी किया जाना है।

(2) कोई भी व्यक्ति उसके स्वामित्व की काष्ठ पर सम्पत्ति चिन्ह के लिए डिवीजनल फारेस्ट आफिसर को आवेदन कर सकेगा जो उस डिवीजन के डिवीजनल फारेस्टर कार्यालय में पंजीकृत होगा, जिसमें उसका परिवहन किया जाना है।

(3) प्रत्येक सम्पत्ति चिन्ह डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा अनुमोदित निर्धारित आकृति का होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसा चिन्ह पंजीकृत किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जो किसी दूसरे व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में ही पंजीकृत किए गए या राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त किए गये चिन्ह के समरूप है, या जिसके संबंध में भ्रम हो सकता है। ऐसे विवाद की दशा में कि पंचायत के लिए प्रस्तावित चिन्ह पूर्व में पंजीकृत किसी अन्य चिन्ह से अत्यधिक समानत रखता है या नहीं, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर का विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) पंजीयन के लिए 50/- रुपये फीस देय होगी और ऐसा पंजीयन, पंजीयन की तारीख से उस वर्ष की 31 दिसम्बर तक प्रभावी होगा।

(5) आकृति (डिवाइस) प्रदर्शित करने वाला पंजीयन का प्रमाण-पत्र, अपना चिन्ह पंजीयन कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा दिया जायेगा।

16. वनोपज को दिन के प्रकाश में ही हटाया जायेगा.- डिवीजनल फारेस्ट आफिसर की लिखित में विशेष अनुज्ञा के सिवाय, किसी भी वनोपज का, सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व के समय के बीच, वनों के भीतर परिवहन नहीं किया जायेगा।

17. वनोपज के आयात हेतु पंजीयन.- (1) कोई भी व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ राज्य में वनोपज आयात करने का आशय रखता है, स्वयं को संबंधित डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के कार्यालय में पंजीकृत करवाएगा जहां कि वन उपज का परिवहन किया जाना है।

(2) डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक सत्यापन के पश्चात् और आवेदक द्वारा रु. 500/- का भुगतान कर दिये जाने पर पंजीकृत करेगा तथा आवेदक

को प्ररूप-घ में आयात का पंजीयन प्रमाण-पत्र देगा तथा तथा ऐसा पंजीयन, कलेण्डर वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

(3) जिस अभिवहन पास से वनोपज का आयात करना है, उसका प्ररूप डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के कार्यालय में जिसके क्षेत्राधिकार में आयात करना आशयित हो, पंजीकृत किया जायेगा। पंजीकृत प्ररूप की सूचना सीमा जांच नाके को दी जावेगी। काष्ठ का आयात करने वाला व्यक्ति, उसका तिमाही लेखा, संबंधित डिवीजनल फारेस्ट आफिसर को प्ररूप-ङ में प्रस्तुत करेगा।

18. राज्य के बाहर से आने वाली वनोपज हेतु अभिवहन पास.- (1) (क) ऐसी समस्त वनोपज, जो छत्तीसगढ़ राज्य में आयात की जा रही है, निर्यातक राज्य द्वारा जारी किए गए, अभिवहन पास के अंतर्गत होनी चाहिए तथा काष्ठ के मामले में प्रत्येक टुकड़े (पीस) पर तथा अभिवहन पास पर उपदर्शित हथौड़े की छाप होनी चाहिए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा जांच नाके (बार्डर चैकिंग बेरियर) पर मूल अभिवहन पास के स्थान पर इस संबंध में प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा नया अभिवहन पास जारी किया जाएगा और मूल अभिवहन पास नाके पर जमा कर लिया जायेगा।

(ग) ऐसी दशा में, जब वनोपज छत्तीसगढ़ राज्य में से होकर जा रही हो, प्रथम सीमा जांच नाके से अंतिम गन्तव्य तक के लिये, राज्य के अंतिम सीमा जांच नाके को उल्लिखित करते हुए अभिवहन पास जारी किया जाएगा।

(2) प्रत्येक अभिवहन पास ऐसे प्ररूप में होगा, जो उस डिवीजन के डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के कार्यालय में पंजीकृत किया गया हो, जिसमें उसके अधीन वनोपज का आयात किया जाना चाहा गया हो।

19. सरकारी चिन्हों की नकल नहीं की जाएगी या उन्हें मिटाया नहीं जाएगा.- वन अधिकारी या ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति, जिसका कर्तव्य ऐसे चिन्हों का उपयोग करना है, किसी सरकारी अभिवहन चिन्ह या ऐसे चिन्ह, जिससे सरकार की काष्ठ चिन्हांकित की गई हो, के समरूप या उसके अतिसदृश्य कोई सम्पत्ति चिन्ह, काष्ठ के लिए उपयोग में नहीं लायेगा और कोई भी व्यक्ति जब कोई काष्ठ किसी अधिकारी, ग्राम पंचायत या नियम 4 के खण्ड (ग) के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी पास के अधीन अभिवहन में हो, उस पर कैं किसी चिन्ह को परिवर्तित नहीं करेगा या उसे नहीं मिटायेगा।

20. अभिवहन के दौरान कतिपय अधिकारियों द्वारा वनोपज को रोका जा सकेगा तथा उसकी जांच की जा सकेगी.- (1) अभिवहन की जा रही कोई वनोपज, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, और वनोपज को वहन करने वाले पशु, यान, जलयान या क्राफ्ट, को कोई वन, पुलिस या राजस्व अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर रोका जा सकेगा, निरुद्ध किया जा सकेगा, उसका परीक्षण किया जा सकेगा या उसकी जांच की जा सकेगी। यदि ऐसे अधिकारी को यह संदेह करने के युक्तियुक्त आधार हों कि उसका अभिवहन, इन नियमों के उल्लंघन में किया जा रहा है या उसके संबंध में सरकार को शोध्य किसी धन का भुगतान नहीं किया गया है या यह कि उसके संबंध में कोई वन संबंधी अपराध किया गया है या किया जा रहा है :

परन्तु ऐसा कोई अधिकारी किसी वनोपज को, जो वैध रूप से अभिवहन में है, तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रूप से निरुद्ध नहीं करेगा और न ही ऐसी वनोपज का तंग करने की दृष्टि से या वनोपज का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिये अनावश्यक रूप से उतारेगा या उतरवायेगा।

(2) ऐसी वनोपज का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे किसी अधिकारी को समस्त जानकारी, जो वह उसके संबंध में देने में समर्थ हो, देगा और यदि वह वनोपज को अभिवहन पास के अधीन हटा रहा है तो ऐसा पास, मांग किए जाने पर ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए पेश करेगा तथा ऐसे अधिकारी द्वारा वनोपज को रोके जाने या परीक्षण किए जाने को किसी भी प्रकार से नहीं रोकेगा या उसका विरोध नहीं करेगा।

(3) (क) अभिवहन के दौरान प्रत्येक वनोपज, मार्ग पर वन नाके (जाँच नाके) पर जांच के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) जांच नाके का भारसाधक, उसमें दिए गये ब्यौरों के अनुसार मात्रा की तथा अनुज्ञा पत्र पर यथादर्शित हथौड़ा चिन्ह की छाप की जांच तथा सत्यापन करेगा। वनोपज की वैधता का समाधान हो जाने के पश्चात् अभिवहन पास में उल्लेखित ब्यौरों की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए नाके पर रखे रजिस्टर में की जायेगी तथा इस प्रकार की गई प्रविष्टि के सामने वनोपज का वहन करने वाले यान के चालक के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जायेंगे। जांच नाके का भारसाधक, अभिवहन पास में विहित किए गए स्थान पर तारीख सहित अपने हस्ताक्षर करेगा तथा मुहर लगाएगा।

(4) यदि कोई फर्क या अनियमितताएं ध्यान में आती हैं, तो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के उपबंध लागू होंगे।

21. काष्ठ के संपरिवर्तन का प्रतिषेध.- वन विभाग के नियंत्रण के किसी आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत वनों की सीमाओं के भीतर तथा ऐसी सीमाओं के अस्सी किलोमीटर के भीतर कोई भी व्यक्ति, किसी वन अधिकारी की, जो वन संरक्षक (कंजरवेटर आफ फारेस्ट) की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो लिखित पूर्व मंजूरी के बिना चारकोल या कत्थे का विनिर्माण नहीं करेगा।

22. नियमों का भंग करने का शास्ति.- (1) जो कोई इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या प्राधिकार के बिना अथवा इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन अनुज्ञा-पत्रों को जारी करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) ऐसे मामलों में, जहां अपराध सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व विधिपूर्ण प्राधिकारी के प्रतिरोध के लिए तैयारी के साथ किया जाता है, या जहाँ अपराधी पूर्व में ऐसे ही अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जा चुका है तो अधिरोपित की जाने वाली शास्ति, ऊपर उपनियम (1) में वर्णित शास्ति से दुगनी होगी।

23. निरसन.- इन नियमों के प्रवृत्त होने पर, इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम निरस्त हो जाएंगे :

परन्तु इस प्रकार निरसित किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई के बारे में जब तक ऐसे कोई बात या कार्रवाई, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत न हो, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

प्ररूप-क

[नियम 6 (2) देखिए]

पुस्तक क्र.	प्रतिपर्ण अभिवहन पास	पृष्ठ क्रमांक
(1)	(2)	(3)
1.	भंडारण का स्थान	
	(क) परिक्षेत्र (रेंज)	.....
	(ख) डिवीजन (वन मण्डल)	.....
2.	निजी भूमि से प्राप्त काष्ठ हेतु	
	(क) पंचायत का नाम	.....
	(ख) ग्राम का नाम	.....
	(ग) भूमिस्वामी का नाम	.....
	(घ) खसरा क्रमांक	.....
	(ङ) पंचायत स्तरीय समिति की अनुशंसा क्रमांक तथा दिनांक	.....
3.	वनोपज के स्वामी का नाम तथा पता	.....

(1)	(2)	(3)
4.	वनोपज का विवरण तथा मात्रा	.....
5.	सम्पत्ति चिन्ह आदि	.....
6.	उस स्थान का नाम, जहां वनोपज का परिवहन किया जाना है	.....
7.	मार्ग, जिसके द्वारा वनोपज का परिवहन किया जाना है	.....
8.	अभिवहन अनुज्ञा-पत्र के अवसान की तारीख	.....

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर
जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी : 1. द्वितीय पर्ण, प्रतिपर्ण के समान होगा।

2. इस अनुज्ञा-पत्र की जाँच मार्ग पर पड़ने वाले, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जांच नाकों पर कराई जाये।

प्ररूप-ख

[नियम 6 (2) देखिए]

ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा

पुस्तक क्र.	प्रतिपर्ण अभिवहन पास	पृष्ठ क्रमांक
(1)	(2)	(3)
1.	(पंचायत स्तर समिति की) अनुशंसा क्रमांक तथा दिनांक	.....
2.	उद्गम स्थान	
	(क) पंचायत का नाम	.....
	(ख) ग्राम का नाम	.....
	(ग) भूमिस्वामी का नाम	.....
	(घ) खसरा क्रमांक	.....
3.	वनोपज के स्वामी का नाम तथा पता	.....
4.	वनोपज का विवरण	.....
	(क) प्रजाति	.....
	(ख) नग एवं मात्रा घ.मी. (इमारती काष्ठ)	.....
	(ग) चट्टों की संख्या (2 x 1 x 1 मी.) जलाऊ हेतु	.....
5.	सम्पत्ति चिन्ह	.....
6.	उस स्थान का नाम, जहां वनोपज का परिवहन किया जाना है	.....
7.	मार्ग, जिसके द्वारा वनोपज का परिवहन किया जाना है	.....
8.	अभिवहन अनुज्ञा-पत्र के अवसान की तारीख	.....

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर
जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी : 1. द्वितीय पर्ण, प्रतिपर्ण के समान होगा।

2. इस अनुज्ञा-पत्र की जाँच मार्ग पर पड़ने वाले, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जांच नाकों पर कराई जाये।

प्ररूप-ग

[नियम 6 (2) देखिए]

राज्य के बाहर से आने वाली वनोपज के अभिवहन पास के बदले जारी किया जाए

पुस्तक क्र. (1)	प्रतिपर्ण अभिवहन पास (2)	पृष्ठ क्रमांक (3)
1.	उद्गम का स्थान	.....
	(क) स्थान का नाम	.....
	(ख) वन/डिपो का नाम तथा प्रास्थिति (स्टेटस)	.....
	(ग) विक्रेता का नाम	.....
2.	वनोपज के स्वामी का नाम तथा पता	.....
3.	अन्य राज्य के अभिवहन पास का विवरण	.....
	(क) क्रमांक तथा दिनांक	.....
	(ख) जारी करने वाला प्राधिकारी	.....
4.	वन उपज का विवरण तथा मात्रा	.....
5.	सम्पत्ति चिन्ह आदि	.....
6.	उस स्थान का नाम, जहां उपज का परिवहन किया जाता है	.....
7.	सीमा जांच नाके (बेरियर) का नाम	.....
8.	मार्ग, जिससे उपज का परिवहन किया जाना है	.....
9.	अभिवहन पास के अवसान की तारीख	.....
10.	हथौड़े का चिन्ह (हैमर मार्क)	.....

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी : 1. द्वितीय पर्ण, प्रतिपर्ण के समान होगा।

2. इस अनुज्ञा-पत्र की जाँच मार्ग पर पड़ने वाले, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जांच नाकों पर कराई जाये।

प्ररूप-घ

[नियम 17 (2) देखिए]

वनोपज के आयात का पंजीयन प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक (1)		पृष्ठ क्रमांक (2)
1.	वनोपज के आयातकर्ता का नाम तथा पता	.....
2.	आयात की जाने वाली वनोपज का विवरण	.....
	(क) देश/राज्य, जहां से वनोपज आयात की जाएगी	.....
	(ख) आयात की जाने वाली वनोपज का नाम तथा अनुमानित मात्रा	.....

(1)	(2)	(3)
3.	मार्ग, जिससे गंतव्य स्थान तक उसका परिवहन किया जायेगा	.....
4.	गंतव्य स्थान का नाम	.....
5.	जांच नाका/डिपो का नाम, जहां वनोपज जांच हेतु प्रस्तुत की जावेगी	.....
6.	पंजीयन की तारीख	.....
7.	पंजीयन के अवसान की कालावधि	.....

पंजीयन प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा उसका पदनाम

प्ररूप - ङ

[नियम 17 (3) देखिए]

.... से .... के दौरान आयातीत तथा व्ययनीत काष्ठ का तिमाही लेखा

आरंभिक अतिशेष			आयातीत काष्ठ की मात्रा		योग			चिरान काष्ठ		
	लट्ठा		लट्ठा		लट्ठा		चिरान घन मीटर	लट्ठा		चिरान घन मीटर प्राप्त
प्रजाति	संख्या	घन मीटर	संख्या	घन मीटर	संख्या	घन मीटर		संख्या	घन मीटर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

चराई के पश्चात् की कुल मात्रा			उपभोग की गई या विक्रय द्वारा व्ययन की गई मात्रा			तिमाही के अंत में अंतिम अतिशेष			टिप्पणियाँ
लट्ठा		चिरान घन मीटर	लट्ठा		चिरान घन मीटर	लट्ठा		चिरान घन मीटर	
संख्या	घन मीटर		संख्या	घन मीटर		संख्या	घन मीटर		
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-8-2001 पृष्ठ 373-374(9) पर प्रकाशित]